भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2730
उत्तर देने की तारीख 17 मार्च, 2025
26 फाल्गुन, 1946 (शक)

ओलंपिक की तैयारी

†2730. श्री राजीव प्रताप रूडी :

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए औपचारिक बोली प्रस्तुत की है और यदि हां, तो इस बोली की स्थिति क्या है;

(ख) इस आयोजन के लिए संभावित मेजबान शहरों के रूप में किन शहरों के बारे में विचार किया जा रहा है और उनके चयन के लिए क्या मानदंड उपयोग किए गए हैं;

(ग) ओलंपिक की मेजबानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुमानित बुनियादी ढांचे में निवेश और उन्नयन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत की बोली के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और साझेदारी हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) भारत में ओलंपिक की मेजबानी हेतु बिडिंग के लिए जिम्मेदार है। आईओए ने 2036 में भारत में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालिंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) को 01.10.2024 को एक आशय पत्र जारी किया। आईओसी का एक समर्पित आंतरिक निकाय है, जिसका नाम फ्यूचर होस्ट कमीशन (एफएचसी) है, जो इच्छुक देशों द्वारा ओलंपिक की मेजबानी के विषय से संबंधित है। इच्छुक राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों (एनओसी) को ओलंपिक खेलों के एक विशिष्ट संस्करण के लिए मेजबानी के अधिकार हासिल करने के लिए एफएचसी के साथ संवाद शुरू करने की आवश्यकता होती है। एक बार जब एनओसी ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए रुचि व्यक्त करता है, तो एफएचसी के साथ बातचीत विभिन्न चरणों से गुजरती है, जैसे कि निरंतर बातचीत के बाद लक्षित बातचीत, जो एफएचसी द्वारा आयोजित की जाती है| इसके अनुसार, आईओसी कार्यकारी बोर्ड अपनी आंतरिक प्रक्रिया के अनुसार मतदान के आधार पर मेजबान एनओसी का चयन करता है।

(ख) वर्तमान में, 2036 ओलंपिक की बिडिंग प्रक्रिया उस चरण तक आगे नहीं बढ़ी है जहां विभिन्न खेलों के आयोजन स्थलों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती।

(ग) ओलंपिक सहित खेल स्पर्धाओं के लिए नई सुविधाओं के निर्माण और मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन के माध्यम से खेल अवसंरचना का संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है। इसके साथ ही, "खेल" राज्य का विषय होने के कारण, खेल अवसंरचना और सुविधाओं के निर्माण और विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, राज्य सरकारों को खेल अवसंरचना, जैसे कि सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, सिंथेटिक हॉकी टर्फ, सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल ग्राउंड, बहुउद्देशीय हॉल, स्विमिंग पूल आदि के निर्माण के लिए मंत्रालय द्वारा अपनी खेलो इंडिया स्कीम के तहत सहायता दी जाती है।

(घ) एफएचसी के साथ संबद्धता हेतु जिम्मेदार संस्था होने के नाते आईओए, 2036 ओलंपिक के लिए भारत की सफल बिडिंग के लिए संबंधित अंतर्राष्ट्रीय निकायों से समर्थन प्राप्त करने सहित सभी आवश्यक कदम उठा रहा है।

****